संख्या–1492 / 9–आ–4–2000–179एन / 2000

प्रेषक,

जावेद एहतेशाम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं देहरादून विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनाँक 12 मई, 2000

विषय : नजूल नीति शासनादेश दिनांक 1.12.98 के पूर्व तथा वर्तमान नीति के अन्तर्गत स्थानीय निकायों के किरायेदारों द्वारा फ्रीहोल्ड धनराशि जमा करने की सूचना।

महोदय,

उर्पयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न सूचनायें शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

(1) (अ) स्थानीय निकाय के ऐसे किरायेदार जिन्होंने शासनादेश दिनांक 1–12–2000 में प्रसारित नीति के पूर्व नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया था और तद्नुसार आकलित सम्पूर्ण धनराशि भी उनके द्वारा जमा कर दी गयी थी तथा फ्री होल्ड विलेख निष्पादित न हुआ हो, ऐसे मामलों में अलग–अलग जमा धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जाय।

(ब) यह भी अवगत कराया जाय कि उपरोक्त (अ) से सम्बन्धित कितने मामले ऐसे हैं जिनमें शासनादेश संख्या–3731 / 9–आ–4–92–293एन / 90 दिनांक 4–1–2000 में निहित निर्देशों के अनुपालन में कुल कितने मामलों में से कितने मामलों में स्थानीय निकायों ने फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया अथवा अनापत्ति दी और कितने मामलों में उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। ऐसे दोनों प्रकार के मामलों में कितनी–कितनी धनराशि निहित है।

(2) स्थानीय निकाय के ऐसे किरायेदार जिन्होंने वर्तमान नजूल नीति के अन्तर्गत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड हेतु आवेदन किया है परन्तु इनके सम्बन्ध में स्थानीय निकायों द्वारा अभी तक अपनी अनापत्ति नहीं दी गयी है, और न ही उनके द्वारा स्वयं फ्री होल्ड हेतु आवेदन किया गया है। इस गतिरोध से लगभग कितनी फ्री होल्ड की धनराशि अवरुद्ध है।

भवदीय,
जावेद एहतेशाम
उप सचिव।